संख्या–भा.स. 72/14–2–2018–800(72)/2018

प्रेषक,

डॉ0 दीपक कोहली,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 23 मई, 2018

विषय :– सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा 8"/2" व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं सामाजिक वानिकी सहारनपुर में 6.207 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 109 वृक्षों एवं 116 पोल्स के पातन की अनुमति। (कुल 6.3430 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु उपयोजन प्रस्ताव)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यूपी/09/47/2018/एफसी/94 दिनांक 09.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 09.05.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 दीपक कोहली)
अनु सचिव।

Data D: SD Nodal GO